न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार असीजा आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 01 / 2019

अनवान:–

1. मनफूल (फौत)
   1/1 गुलाब पत्नि देवीलाल पुत्री मनफूल जाति बावरी निवाई बाईया तह0 रानिया जिला सिरसा
   1/2 श्योनारायण पुत्र मनफूल जाति बावरी निवासी सूरेवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ
   1/3 शंकरलाल पुत्र मनफूल जाति बावरी निवासी सूरेवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ
   1/4 विमला पत्नि बुधराम पुत्री मनफूल निवासी लुढाणा तह0 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
   1/5 जगदीश (फौत)
   1/5/1 विमला उर्फ कृष्णा पत्नि जगदीश निवासी ढाणी 10 सीडीआर बी सूरेवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ
   1/5/2 निशा पिसरान जगदीश जरिये कुदरती वली माता विमला देवी पत्नि जगदीश निवासी ढाणी 10 सीडीआर बी सूरेवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ
   1/5/3 अमनदीप पिसरान जगदीश जरिये कुदरती वली माता विमला देवी पत्नि जगदीश निवासी ढाणी 10 सीडीआर बी सूरेवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ
   1/6 रामा पुत्र मनफूल जाति बावरी निवासी सूरेवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. हरीराम पुत्र किशनाराम जाति बावरी निवासी सूरेवाला तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ

प्रार्थीयान

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

पैतांलीसा क्षेत्र में गैरदाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि का आवंटन शर्तें 1970

उपस्थित:–

1. श्री प्रदुमन परमार अभिभाषक प्रार्थीयान।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अभिभाषक।

:–निर्णय:–

दिनांक:– 27.07.2021

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.07.2005 द्वारा इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) होने पर प्रस्तुत की गयी है। जिसमें प्रार्थीयान द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (पैन्तालिसा क्षेत्र में गैरदाखिलकारों को भूमि आवंटन) शर्तें 1970 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 10 सीडीआर –बी तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ में स्थित कृषि भूमि बींझा व रामजी के कब्जा काश्त संवत 2011 से पूर्व में चली आ रही है। कृषि भूमि चक 10 सीडीआर–बी में प0नं0 218/257(22) किला नं0 15,16,25 तादादी 3 बीघा, प0नं0 219/257(23) किला नं0 11 से 14, 17 से 24 तादादी 12 बीघा, प0नं0 219/258(31) किला नं0 1 से 4, 8 से 10 तादादी 7 बीघा कुल 22 बीघा है। उपरोक्त कृषि भूमि के आवंटन के संबंध में बींझा व रामजी के आंवटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने पर इस न्यायालय द्वारा कृषि भूमि बहक सरकार जाने के आदेश दिये गये थे, जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अपील के निर्णयानुसार गैर दाखिलकारी आवंटन नियम 1970 के तहत रामजी–बीझा के उत्तराधिकारीगण आवंटन की रिकार्ड के आधार पर पात्रता रखते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवंटन किया जावे।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रार्थीयान के प्रार्थना पत्र पर जांच रिपोर्ट जरिये उपखण्ड अधिकारी टिब्बी से दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार टिब्बी के पत्रांक भू0अ0/17/17540 दिनांक 05.09.2017 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रिपोर्ट तहसील द्वारा उक्त रकबा गैरखातेदारी दर्ज होना बताया तथा कब्जा काश्त प्रार्थीगण का होना अंकित किया है। उक्त रकबा पर किसी प्रकार का विवाद या स्थगन नहीं है। कब्जा काश्त प्रार्थीयान का होना अंकित किया और राजस्व रिकार्ड के अनुसार इस रकबे पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन या विवाद नहीं होना अंकित किया गया। प्रश्नोतरी में संवत 2011 से 2016 तक प्रश्नगत भूमि पर काश्त रामजी, बीझा, चिमना कौम बावरी कौम बावरी की अंकित की, इसके पश्चात 2036 से 2071 तक काश्त प्रार्थीयान के परिवार की अंकित की गई।

इस प्रकरण के विचाराधीन अवस्था में प्रार्थी मनफुल का निधन हो जाने पर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। प्रार्थी पक्ष की ओर से तहरीरी साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र बाबत सीलिंग, प्रार्थी पक्ष की ओर से तहरीरी साक्ष्य के रूप में नकल पर्चा खतौनी चक 10 सीडीआर, प्रमाणित प्रति जमाबंदी 2008–12, 2016–19, 25–28, 2033–42, 2045, 2049, 2057 तथा प्रमाणित प्रति गिरदावरी 2012–13, 2029–32, 2033–35, 2036–40, 2041–43, 2045–48, 2049–52, 2053–56, 2057–60 पेश किये।

उभय पक्ष को सुना गया। प्रार्थी पक्ष के अभिभाषक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा बहस के अनुसार निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत 2008 से 12 में बतौर गैरदाखिलकार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत 2016 प्रार्थीयान पक्ष की काश्त दर्ज है। इन्होने हमारा ध्यान उक्त जमाबंदी तथा गिरदावरी की ओर आकर्षित कराते हुए यह भी कथन किया कि उक्त कब्जा काश्त तथा स्वामित्व की पुष्टि तहसील रिपोर्ट से होती है। यह रकबा शुरू से निर्विवादित रकबा रहा है। यह भूमि गैरदाखिलकारी की है। प्रार्थना पत्र ज्ञान के आधार पर अंदर मियाद बताया और शर्त सं0 6(2) का नोटिस नहीं मिलना बताया। सीलिंग के संबंध में इन्होने प्रार्थी के शपथ पत्र दिनांक 26.07.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कथन किया कि प्रार्थी पक्ष की पात्रता 9(ग) के अंतर्गत सिद्ध होती है। अतः राजकीय रेट पर उक्त भूमि का आवंटन किया जावे।

बहस का उतर देते हुए राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि भूमि गैरदाखिलकारी की साबित हो तो कीमतन आवंटन की जा सकती है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के संबंध में विचार करें तो हमारे समक्ष ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया कि प्रार्थी पक्ष को गैरदाखिलकार की शर्त सं0 6(2) का नोटिस दिया हो, ऐसी अवस्था में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंदर मियाद माना जाता है। प्रस्तुत कर्ता अभिलेख जमाबंदी संवत 2012 से 15 प्रार्थी पक्ष के रामजी बीझा पि0 सरदारा की गैरदाखिलकारी की भूमि है तथा गिरदावरी संवत 2016 के अनुसार प्रार्थी पक्ष (रामजी बीझा पि0 सरदारा) की काश्त दर्ज है तथा पर्चा खतौनी में अंकन पाया जाता है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष की पात्रता शर्त सं0 9 (ग) के अंतर्गत साबित होती है। अतः पत्रावली में उपलब्ध पर्चा खतौनी चक 10 सी.डी.आर. में विवादित भूमि रामजी, बीझा पि0 सरदारा के नाम से है। जमाबंदी की नकल संवत जमाबंदी 2008–12, 2016–19 में भी रामजी, बीझां की काश्त दर्ज है। प्रश्नोतरी प्रपत्र में पटवारी व तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि पर सं0 2011 से 2052 तक विवादित भूमि पर प्रार्थीयान का कब्जा काश्त है। इस प्रकार विवावित भूमि पर प्रार्थीयान का कब्जा काश्त गत 50 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है। अतः स्व0 बींझा व रामजी के कब्जा काश्त कृषि भूमि चक 10 सीडीआर–बी में प0नं0 218/257(22) किला नं0 15,16,25 तादादी 3 बीघा, प0नं0 219/257(23) किला नं0 11 से 14, 17 से 24 तादादी 12 बीघा, प0नं0 219/258(31) किला नं0 1 से 4, 8 से 10 तादादी 7 बीघा कुल 22 बीघा का पुख्ता आवंटन शर्त सं0 9 (ग) के अंतर्गत कीमत किया जाता है। आवंटन आदेश जारी हो। पत्रावली विधि परीक्षण हेतु श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार असीजा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ